राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–8)

क्रमांक 4(17)ग्रावि / अनु–8 / 2015 / डीओ जयपुर, दिनांक :–04.01.2016

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद,
बीकानेर,डूंगरपुर, जयपुर एवं पाली।

विषय :– निम्नतम प्रगति वालें जिलों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की समीक्षा बैठक दिनांक 11.01.216

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि मुख्यालय स्तर पर माह नवम्बर, 2015 तक की प्रगति की समीक्षा की गई जिसके अनुसार आपके जिलों की प्रगति राज्य में सबसे कम पायी गयी, अतः कम प्रगति वाले जिलों के साथ दिनांक 11.01.2016 को सायं 3:00 बजे शासन सचिव महोदय की अध्यक्षता में समिति कक्ष, प्रथम तल, एसएसओ बिल्डिंग, उत्तरी पश्चिमी भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में बैठक आयोजित की जायेगी। इस क्रम में निर्देशानुसार निम्न बिन्दुओं पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी निम्न सूचना अपने साथ लाऐगे :–

1 ग्रांमीण विकास की सभी योजनाओं मे ऐसी तकनीकी स्वीकृतियां जो 25 दिवस से अधिक देरी से जारी की गई। इस सबंध मे उतरदायित्व निर्धारण करे एवं दोषी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर एक प्रति इस विभाग को प्रेषित करें।
2 ग्रांमीण विकास की सभी योजनाओं मे ऐसी वित्तीय स्वीकृतियां जो 10 दिवस से अधिक देरी से जारी की गई । इस सबंध मे उतरदायित्व निर्धारण करे एवं दोषी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कर, एक प्रति इस विभाग को प्रेषित करें।
3 ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं मे गत वितीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृत ऐसे सभी अप्रांरभ कार्यो के लिए दोषी कार्मिक / अधिकारियों के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही कर की गई कार्यवाही से अवगत कराया जायें।
4 ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं मे कम व्यय होने के कारणो का विवरण, विशेषतौर से निर्धारित सीमा से अधिक पुराने कार्य जो अभी तक पूर्ण नहीं हुए है, की समीक्षा व देरी के कारणो से अवगत करावें।
5 इंदिरा आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण बीपीएल आवास योजना में वित्तीय वर्ष 2011–12, 2012–13, 2013–14 में स्वीकृत आवासों की द्वितीय, तृतीय किश्त बकाया होने के कारणों पर सम्बंधित विकास अधिकारी एवं ग्राम सेवक के विरूद्ध की कार्यवाही से अवगत कराया जावे।

अतः उक्त बिन्दुओं से सम्बंधित सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उक्त बैठक में निर्धारित दिनांक एवं समय पर उपस्थित होने का श्रम करें।

भवदीय

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)

प्रतिलिपि –

1 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त (बीकानेर,डूंगरपुर, जयपुर एवं पाली के अतिरिक्त) राजस्थान।
4 प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को भेजकर लेख है कि उक्त बिन्दुओं से सम्बंधित राज्य स्तर की समस्त सूचनाओं के साथ दिनांक 11.01.2016 को बैठक में उपस्थित हो।

परि. निदे. एवं उप सचिव
(मो. एवं मू.)